छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 23-06-2026

क्रमांक **GENCOR/1646/2025/20-2 ::** राज्य शासन एतद द्वारा प्रदेश में विभाग के अधीन संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों/छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त (Drug-Free-Zone) घोषित करता है।

2/ शाला परिसरों में उपयुक्त आयु वर्ग के छात्रों हेतु शैक्षणिक शिविर तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से स्वैच्छिक चिकित्सकीय जांच की प्रक्रिया शुरू करते हुये, इसे आगे चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाये। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय छात्रों की स्क्रीनिंग किया जाये। ड्रग्स के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित छात्रों की उचित काउंसिलिंग और पुनर्वास हेतु रेफरल हो। पुनर्वास का उद्देश्य दंडित करने के स्थान पर सही समय पर बचाव हो।

3/ संस्था प्रमुख यह निगरानी रखें कि उनके शाला/छात्रावास परिसर की 500 मीटर की दूरी में मादक पदार्थों की बिकी न हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल निकटस्थ पुलिस थाने में देवें।

**4/** कृपया इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

Digitally signed by
Rameshwar Prasad Verma
Date: 23-06-2026
13:13:58

**(आर.पी. वर्मा)**
अवर सचिव.
छ०ग० शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र० GENCOR/1646/2025/20-2 नवा रायपुर, दिनांक 23-06-2026

**प्रतिलिपि :-**

1 प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
2 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,

3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
5 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ०ग०)
7 समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
8 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़,
9 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**हस्ता/-**
अवर सचिव
छ०ग० शासन
स्कूल शिक्षा विभाग